

आवश्यक दिशानिर्देश > कैलेंडर 2013-14

- सभी रेफरेंस नंबरों कि समीक्षा कर ली गयी है एवं कैलेंडर के सभी डेट एवं वार सही हैं।
- कैलेंडर में वर्णित सभी छुट्टियां बिहार सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए बने अधिसूचित कैलेंडर में वर्णित छुट्टियों से मेल खाती हैं अतः स्पष्ट है कि छुट्टियों का डेट सही है। उल्लेखनीय है कि हमारे छुट्टियों को बिहार सरकार के कैलेंडर से सिर्फ इसलिए मिलाया गया है क्योंकि हमारे कार्यालय एवं फैक्ट्री बिहार राज्य अंतर्गत पड़ते हैं न कि हमारे छुट्टियों कि सूची में वह सभी छुट्टियाँ होनी चाहिए जो बिहार सरकार के कैलेंडर में वर्णित हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कुल छुट्टियाँ 16 हैं एवं N.I. एक्ट जो बैंकों पर लागू है के अनुसार लगभग 21 छुट्टियाँ होती हैं जबकि हमारे कैलेंडर के अनुसार कुल छुट्टियाँ 21 हैं (सामान्य - 18 एवं प्रतिबंधित - 3 जो स्वीकृत हो सकती हैं)। उल्लेखनीय है कि किसी भी एक्ट को सभी पहलुओं पर सोच विचार कर ही बनाया जाता है।
- सामान्य छुट्टियों एवं प्रतिबंधित छुट्टियों कि सूची:

सामान्य छुट्टियाँ					
क्र	दिनांक	छुट्टियाँ	क्र	दिनांक	छुट्टियाँ
01	19/04/2013	रामनवमी	10	16/10/2013	बकरीद
02	01/05/2013	लेबर-डे	11	03/11/2013	दिवाली
03	09/08/2013	ईद-उल-फितर	12	08/11/2013	छट-पूजा
04	15/08/2013	आजादी दीवस	13	09/11/2013	छट-पूजा
05	29/08/2013	कृष्ण जन्माष्टमी	14	14/11/2013	मुहर्रम
06	17/09/2013	विश्वकर्मा पूजा	15	01/01/2014	नव-वर्ष
07	02/10/2013	गाँधी जयंती	16	26/01/2014	गणतंत्र-दिवस
08	13/10/2013	दुर्गा-पूजा	17	16/03/2014	होली
09	14/10/2013	दुर्गा-पूजा	18	17/03/2014	होली
प्रतिबंधित छुट्टियाँ					
01	25/06/2013	सोब-बरात	05	14/01/2014	मकर सकांति
02	20/08/2013	रक्षाबंधन	06	04/02/2014	बसंत पंचमी
03	17/10/2013	बकरीद	07	28/02/2014	महा शिवरात्रि
04	15/11/2013	मुहर्रम			

- प्रतिबंधित छुट्टियों के नियोजन कि आवश्यकता:** वर्ष 2012-13 से इसलिए सामान्य एवं प्रतिबंधित छुट्टियों का प्रावधान लागू किया गया है ताकि प्रतिष्ठान के कार्य कि हानि न हो एवं सभी वर्ग के कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक अपने धर्म के अनुसार प्रतिबंधित छुट्टियों में धार्मिक दायित्वों का निर्वाहन कर सकें।
- प्रतिबंधित छुट्टियों कि अधिकतम सीमा एवं अन्य:** सामान्य छुट्टियों में सभी कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक छुट्टी लेंगे एवं प्रतिबंधित छुट्टियों में छुट्टी लेने के लिए एक कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक को लिखित में पूर्व-जानकारी देने कि आवश्यकता पड़ेगी। प्रतिबंधित छुट्टियों से एक कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक को ज्यादा से ज्यादा 3 ही छुट्टी का लाभ मिलेगा एवं छुट्टी में एक कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक कम से कम 6 घंटे कार्य करेंगे तभी छुट्टी के लिए अतिरिक्त वेतन मिलेगा।
- पूर्व मंजूर छुट्टी के नियम:** अगर एक कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक पूर्व में छुट्टी अनुमोदित करवाते हैं तब उन्हें छुट्टी के अवधि में पड़ने वाला सामान्य एवं/या प्रतिबंधित छुट्टी का लाभ मिलेगा बशर्ते अगर एक एक कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक छुट्टी के एक दिन पहले या बाद में उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि अगर एक कर्मचारी बीच में पड़ने वाले छुट्टी के एक दिन पहले एवं बाद में उपस्थित नहीं हैं तब उन्हें उक्त छुट्टी के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाएगा।
- साप्ताहिक छुट्टी के लाभ का शर्त:** एक कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक को एक साप्ताहिक छुट्टी का लाभ तब ही मिलेगा जब वह उस सप्ते में कम से कम 4 दिनों तक कार्यरत रहे।
- छुट्टियों में कार्य कर ऑवर-टाइम बना अपने कार्य को आगे बढ़ाने का नियम:** अगर एक कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक ने किसी कारण जैसे बीमारी या अन्य व्यक्तिगत कार्य हेतु छुट्टी लिया है तब वह अपने कार्य को सुचारू करने हेतु एवं कटे हुए पैसे कि क्षति-पूर्ति हेतु अपने नियंत्रक के लिखित निदेश पर छुट्टियों के दिन कम से कम 6 घंटा कार्य कर सकते हैं एवं यह नियंत्रक कि जिम्मेदारी होती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि एक कर्मचारी/अधिकारी को इस प्रकार का लाभ 3 महीने में एक बार से ज्यादा न दिया जाए। जबकि वह कर्मचारी वर्ग जिन्हें ऑवर-टाइम दिया जाता है उन्हें नियंत्रक बिना कार्य छुट्टी के दिन नहीं बुला सकते हैं।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर उपरोक्त नियम व शर्त के लागू होने के संबंध में:** उपरोक्त नियम व शर्त वर्ष 2013-14 से मुख्य कार्यकारी पर भी लागू होगा एवं क्योंकि यह अनुशासन एवं मेहनताने का सवाल है इसलिए Remuneration to CONSAM CEO & CMD में उक्त बजट का 40% पैसा CEO Remuneration मान उपस्थिति के अनुसार क्रेडिट होगा एवं 60% पैसा बिना उपस्थिति को देखते हुए क्रेडिट होगा।

(अनुमोदित)